कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री रेवा रिफाइनरी प्रा0लि0,अग्रवाल धर्मशाला,शाप नं02,बीजापुर,सोनभद्र।**

Head office at 201 SNEH Apartment Ravi Nagar,Gwalior.
Factory at Industrial Estate Waidhan ,M.P.

प्रा0प0सं0 428/2008

प्रार्थी की ओर से- **श्री मोहन सिंह,अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 22-12-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा यूज्ड /वेस्ट /जले हुये मोबिल आयल को खरीद कर उक्त से मोबिल आयल के निर्माण का कार्य किया जाता है।व्यापारी द्वारा **यूज्ड /वेस्ट /जले हुये मोबिल आयल** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनको प्रोडेक्ट उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-ए के कमांक-51 के अन्तर्गत आता है और उक्त पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-ए के कमांक-51 की प्रविष्टि निम्नवत् हैः-

51	***Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, stores and vehicles including waste products.***

2- व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर,मीरजापुर के पत्र संख्या- 2790 दिनांक 3-2-09 एवं डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)-4,वाणिज्य कर,सोनभद्र ने पत्र संख्या- 682 दिनांक 3-2-09 से आख्या प्रेषित की है जिसमें उनके अनुसार यूज्ड जले हुये मोबिल आयल के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं हुई है परन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-ए के कमांक-51 के अन्तर्गत वेस्ट प्रोडेक्ट को सम्मिलित किया गया है। इसलिये जले हुये मोबिल आयल को भी वेस्ट प्रोडेक्ट के अन्तर्गत माना जाता है तथा उनके द्वारा जले हुये मोबिल आयल पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है परन्तु रिफाइनिग के बाद वेस्ट प्रोडेक्ट की श्रेणी में नहीं आना अपनी आख्या में बताया गया है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री मोहन सिंह,अधिवक्ता उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा बताया गया कि उनके द्वारा जो जले हुये मोबिल आयल की खरीद की जाती है वह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-ए के कमांक-51 वेस्ट प्रोडक्ट के अन्तर्गत आता है । अपने कथन के समर्थन में मुख्य यांत्रिक अभियन्ता परिवहन निगम द्वारा जारी कोटेशन में जले हुये मोबिल आयल को निष्प्रयोज्य जला हुआ तेल प्रदर्शित कियागया है। बताया गया कि सर्वश्री त्रिवेणी इंजीनियरिंग के मामले में वेस्ट प्रोडेक्ट को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार उनके द्वारा खरीदा गया जला हुआ मोबिल आयल वेस्ट प्रोडेक्ट की श्रेणी में आता है। बताया गया कि सर्वश्री राकेश झा के मामले में (प्रा0प0सं0 243/2008)तत्कालीन कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 8-8-08 द्वारा जला हुआ मोबिल आयल को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-ए के कमांक-51 के अन्तर्गत वेस्ट प्रोडेक्ट के अन्तर्गत माना

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

सर्वश्री रेवा रिफाइनरी प्रा0लि0,अग्रवाल धर्मशाला,शाप नं02,बीजापुर,सोनभद्र।

प्रा0प0सं0 428/2008

गया है तथा उक्त निर्णय उनके वाद में लागू होता है।

4- मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मान0उच्च न्यायालय के निर्णयों का परिशीलन किया गया।सर्वश्री राकेश झा (प्रा0प0सं0 243/2008) आदेश दिनांक 8-8-08 के मामले में तत्कालीन कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा जले हुये मोबिल आयल को भी वेस्ट प्रोडेक्ट मानते हुये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-ए के कमांक-51 के अन्तर्गत आना मानते हुये 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा । जले हुये मोबिल आयल पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को ,एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 19 जून,2009

ह0/19-6-09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।